राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य पोषण/2017/22229 **भोपाल, दिनांक** 25/09/2017

प्रति,

आयुक्त,
एकीकृत बाल विकास सेवायें,
मध्यप्रदेश

विषयः– एन.आर.सी. में गंभीर कुपोषित बच्चों को लाने एवं ड्रॉप बैक हेतु निःशुल्क परिवहन संबंधी दिशा–निर्देश।

****

विषयांतर्गत लेख है कि वर्ष 2017–18 में आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 22/08/2017 में लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश के विभिन्न एन.आर.सी. से बच्चों की निःशुल्क परिवहन व्यवस्था अब जननी एक्सप्रेस अथवा 108 के माध्यम से की जानी है। **इस हेतु गंभीर कुपोषित बच्चे के Treatment एवं Follow-up कॉस्ट में पूर्व में प्रचलित Transportation Cost को विलोपित किया गया है।**

चूंकि एन.आर.सी. में लगभग 60–65 प्रतिशत बच्चों का रेफरल आंगनाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, अतएव अनुरोध है कि गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती करने हेतु ग्राम से पिक–अप तथा एन.आर.सी. से छुट्टी उपरांत ड्रॉप–बैक की व्यवस्था बनाने हेतु आंगनाड़ी कार्यकर्ताओं को निम्नानुसार सूचित किया जाये :–

1. गंभीर कुपोषित बच्चों की नामजद ड्यू लिस्ट ग्राम की आशा के पास सर्वथा संधारित रहे।
2. दस्तक अभियान में चिन्हांकित जटिल बच्चों को एन.आर.सी. में रेफरल हेतु प्राथमिकता दी जाये।
3. **आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा चिन्हांकित गंभीर कुपोषित बच्चों के एन.आर.सी. में भर्ती बाबत निःशुल्क परिवहन प्रणाली जननी एक्सप्रेस/108 को कॉल किया जाये। इस हेतु टोल फ्री नम्बर 108 पर कॉल लगाया जाये।**
4. **जटिल बच्चों की आकस्मिकता को दृष्टिगत रखते हुये आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा इसकी स्पष्ट सूचना कॉल सेंटर ऑपरेटर को दी जाये ताकि रूटिन प्रकरणों को लंबित रखते हुये ऐसे जटिल बच्चे के परिवहन को प्राथमिकता दी जा सके।**
5. **अशोकनगर, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दतिया, डिण्डोरी तथा मण्डला में वर्तमान एकीकृत परिवहन प्रणाली पूर्ण रूपेण क्रियाशील नहीं हो पाई है, इन जिलों में आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा जिले के कॉलसेंटर को ही गंभीर कुपोषित बच्चों के निःशुल्क परिवहन हेतु कॉल किया जाये।**
6. **उपरोक्त जिलों में एकीकृत निःशुल्क परिवहन व्यवस्था लागू होने पर जिलों की आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों के निःशुल्क परिवहन हेतु टोल फ्री नम्बर 108 पर ही कॉल लगाया जाये।**
7. कॉल सेंटर ऑपरेटर द्वारा रूट चार्ट प्लानिंग हेतु निम्न जानकारी आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आवश्यक रूप से ली जायेगी :–

   (i) **गंभीर कुपोषित बच्चे का नाम व माँ का नाम**
   (ii) **ग्राम का नाम**
   (iii) **क्या गंभीर कुपोषण के साथ बच्चे में चिकित्सकीय जटिलता भी है ? (तेज बुखार, दस्त या पेंचिस की शिकायत, उल्टी होना, बच्चे में अत्याधिक सुस्ती, दूध न पीना अथवा भोजन नहीं लेना, अत्याधिक खांसी, गंभीर कुपोषण के साथ शरीर पर मवाद वाले फोड़े–फुंसी होना अथवा अन्य कोई गंभीर लक्षण होना।)**
   (iv) **निकटस्थ एन.आर.सी. का नामजिसमें बच्चे को भर्ती कराया जाना है।**

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित करने हेतु समस्त जिला परियोजना अधिकारी, विकासखण्ड परियोजना अधिकारी, आंगनवाड़ी सुपरवाईजर्स एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि निःशुल्क परिवहन के अभाव में कोई भी गंभीर कुपोषित बच्चे को अनावश्यक असुविधा न हो।

(डॉ. बी.एन. चौहान)
संचालक
एन.एच.एम, मध्यप्रदेश

पृ.क्र./एन.एच.एम./शिशु स्वास्थ्य पोषण/2017/22230 भोपाल, दिनांक 25/09/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवायें, वात्सल्य भवन, भोपाल, म.प्र.।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवायें, म.प्र.।
8. उपसंचालक, रेफरल ट्रांसपोर्ट/शिशु स्वास्थ्य पोषण, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
9. समस्त अधीष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल,इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा तथा सागर, मध्यप्रदेश।
10. राज्य प्रभारी, 108, जिगीत्सा हेल्थ केयर लिमिटेड, भोपाल, मध्यप्रदेश।
11. पोषण अधीकारी, यूनिसेफ, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि जिला स्तरीय कॉल सेंटर ऑपरेटर के उपरोक्त अनुसार व्यवस्था के उन्मुखीकरण हेतु आवश्यक सहयोग करें।
12. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, क्लींटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि जिला स्तरीय कॉल सेंटर ऑपरेटर के उपरोक्त अनुसार व्यवस्था के उन्मुखीकरण हेतु आवश्यक सहयोग करें।
13. राज्य कार्यक्रम प्रतिनीधि, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल, मध्यप्रदेशकी ओर लेख है कि जिला स्तरीय कॉल सेंटर ऑपरेटर के उपरोक्त अनुसार व्यवस्था के उन्मुखीकरण हेतु आवश्यक सहयोग करें।

संचालक
एन.एच.एम,मध्यप्रदेश